aforesaid you will also be
erest as is payable for the
diately after this notice of
s. (b) All costs, charges
respect of the service of
ess that may be taken for

ry Certificate Due Against You
Rs. 30,09,259/-
Rs. 64,681/-
Rs. 30,09,259/-
Rs. 04,50,152/-
d (if any) Nil
Rs. 35,24,092.00
e Debt Recovery Tribunal, Jaipur

ent notice no.is hereby

Technical bid opening date and time

RITESH PROPERTIES AND INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: 11/5B, Pusa Road, New Delhi-110060
CIN: L74899DL1987PLC027050, Website: www.riteshindustries.us
E-mail: info@riteshindustries.us, Ph : 0124-2451063/64

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Tuesday, 14th February, 2017** to consider and take on record the Un-Audited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2016.

This intimation is also available on the website of the Company, **www.riteshindustries.us** as well as on the website of BSE Limited, **www.bseindia.com.**

For Ritesh Properties and Industries Limited
Sd/-
(Taran Deep Kaur)
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 03.02.2017

Regd. Office : 2nd Floor, Rajlok Building, 24, Nehru Place, New Delhi-110019
Corporate Office at : 9th Floor Paras Twin Towers, Tower-B, Sector-54, Golf Course Road, Gurgaon-122002

RELIGARE | HOME LOANS
Values that bind

POSSESSION NOTICE

[(Appendix IV) Rule 8(1)]

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of M/s Religare Housing Development Finance Corporation Limited (RHDFCL), a Housing Finance Company registered with National Housing Bank (fully owned by Reserve Bank of India) under the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under Section 13(12) read with Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002 issued a Demand Notice dated **09.08.2016** calling upon **Manveer Singh S/o Harpal Singh & Tanya Manoj W/o Manoj Ahuja** All R/o House No. 4/2 Pant Nagar, 2nd Floor, Jangpura, Delhi- 110014 **("The Borrower")** to repay the amount mentioned in the notice being **Rs. 21,68,455.60/- (Rupees Twenty One Lakh Sixty Eight Thousand Four Hundred Fifty Five & Paise Sixty Only)** along with interest from **10.08.2016** within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to

Core-1, SCOPE C
7, Institutional Area,
New Delhi-110 003
Phone: 011-2436

CIN No. L51909DL1961

Pursuant to Regulation
(Listing Obligation
Requirements) Regulatio
notified that the meeting
Directors of the compan
13th February, 2017 at
Complex, 7, Institutional A
New Delhi-110 003 to
approve the Unaudited
Financial Results of M/
quarter ended 31st Decem

For

New Delhi (G.Aggr

रितेष प्रोपर्टीज एण्ड इंडस्ट्रिज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11/5बी, पूसा रोड, नई दिल्ली-110060
CIN: L74899DL1987PLC027050, वेबसाइट: www.riteshindustries.us
ई-मेल: info@riteshindustries.us, दूरभाष : 0124-2451063/64

सूचना

सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 29 के साथ पठित विनियमन 47 के अनुपालन के तहत एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 31 दिसम्बर, 2016 को समाप्त तिमाही एवं नौ महीने के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं अंगीकृत करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक **मंगलवार, 14 फरवरी, 2017** को आयोजित होगी।

यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.riteshindustries.us के साथ बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते रितेष प्रोपर्टीज एण्ड इंडस्ट्रिज लिमिटेड
हस्ता/-
(तरुण दीप कौर)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 03.02.2017

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

आस्ति वसूली शाखा

6/30-31, डब्लू ई ए, अजमल खान रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005, फोन: (011) 28755468; 28753728, ईमेल: bom1933@mahabank.co.in; brmgr1933@mahabank.co.in

नियम 8(1) सांकेतिक कब्जे की सूचना (अचल संपत्ति के लिये)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्त्ता ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्राधिकृत अधिकारी होते हुये वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 13(12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का सपठित नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एक मांग सूचना पत्र दिनांक 1.12.2015 को जारी किया। जिसमें ऋणीयों एवं साझेदारों (1) श्री धर्मेन्द्र जैन, पुत्र श्री चन्दू लाल जैन, निवासी, बी–2/34, सेवक पार्क, उपरी भूतल, उत्तम नगर, दिल्ली–110059 (2) श्रीमती पूनम जैन पत्नी श्री धर्मेन्द्र जैन बी–2/34, सेवक पार्क, उपरी भूतल, उत्तम नगर, दिल्ली–110059 (ऋणी), जैन कॉस्मेटिक्स, 4013, तृतीय तल, प्रताप मार्केट, सदर बाजार, दिल्ली–110059 (साझेदार) से नोटिस में वर्णित रूपये 12,22,911/– + उपार्जित ब्याज 1,65,346= कुल बकाया राशि रू. 13,88,257/– (रूपये तेरह लाख अठयासी हजार दो सौ सतावन मात्र) इस नोटिस की पावती से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने हेतु कहा गया।

ऋणी के वह राशि लौटाने में विफल होने पर, ऋणी तथा सामान्य जन को एतद् द्वारा सूचना दी

मेडिकल उपकरण विनिर्माताओं को नए मानकों से बंदी का डर

वीणा मणि
नई दिल्ली, 3 फरवरी

केंद्र सरकार ने गुरुवार को मेडिकल उपकरणों के नियमन की घोषणा कर दी। नियमों में कहा गया है कि मेडिकल उपकरणों की शेल्फ लाइफ 5 साल होनी चाहिए। अधिसूचना में मेडिकल उपकरणों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है– कम जोखिम, कम मध्यम जोखिम, मध्यम ज्यादा जोखिम और ज्यादा जोखिम वाले उपकरण। मेडिकल उपकरण उद्योग ने मेडिकल उपकरणों के लिए अलग नियम बनाए जाने का स्वागत किया है, वहीं उन्होंने अधिसूचना के कुछ बिंदुओं को लेकर नाखुशी भी जताई है।

एसोसिएशन आफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के राजीव नाथ ने कहा, 'प्रस्तावित नियमन से घरेलू विनिर्माण बंद हो सकता है मानना है कि सरकार ने विनिर्माताओं के लिए भारत में कारोबार आसान करने की दिशा में कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने कहा, 'नियामकों को जांच की विशेषज्ञता नहीं है। हमने उनसे तीसरे पक्ष की ओर से प्रमाणन पर विचार करने को कहा था, लेकिन इसे अंतिम अधिसूचना में शामिल नहीं किया गया।'जहां तक शेल्फ लाइफ का सवाल है, केंद्रीय दवा नियामक सीडीएससीओ का तर्क रहा है कि भारत में जो स्थितियां हैं, शेल्फ के लिए 5 साल की आयु तार्किक होगी। अधिसूचना में कहा गया है कि शेल्फ लाइफ का विस्तार अलग अलग मामलों के आधार पर किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि तकनीकी मानकों को देखते हुए मेडिकल उपकरण की शेल्फ लाइफ का निर्धारण किया जा सकता है और इसे सामान्य तौर पर विनिर्माण की अवधि से 60 महीने